2022/308

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया श्रीमती विद्या पत्नी स्व. श्री पृथ्वीराज जाति जाट, उम्र 76 वर्ष, निवासी चक 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला–श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो **गवाह** के शपथ पत्र, आई.डी. प्रुफ और रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थीया व गवाहान बलविंद्र और अनिल कुमार की पहचान अधिवक्ता श्री अमनदीप सिंह द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत हैं। 17.10.22

जिला पंजीयक महोदय